

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	225]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/आषाढ़ 6, 1941
No.	225]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 जून, 2019

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.22/एमडीएंडसीईओ/2019.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझते हुए कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथाः

1. अनुच्छेद 3 का संशोधन

- (क) मुख्य दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (1) के खंड (i) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-
 - (i) एक आवास वित्त कंपनी जिसने अपनी सावधि जमाओं के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग से नीचे ऋण रेटिंग प्राप्त न की हो जैसाकि ऊपर दिया गया है तथा सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन गुणा तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती है।
- (ख) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप- अनुच्छेद (2) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-
- (2) कोई भी आवास वित्त कंपनी में सार्वजनिक जमा राशियों को शामिल करके ऐसी जमा राशियों, जिनकी मूल राशि उसके द्वारा धारित राशियों, यदि कोई हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45आई की उप धारा (बीबी) के खंड (iii) से (vii) और इसी प्रकार ऋणों या राष्ट्रीय आवास बैंक से अन्य सहायता में निर्दिष्ट हैं, निम्न सीमा से अधिक नहीं रखेगी

3148 GI/2019 (1)

- (i) 31 मार्च, 2020 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के चौदह गुणा तक:
- (ii) 31 मार्च, 2021 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के तेरह गुणा तक; एवं
- (iii) 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के बारह गुणा तक
- (ग) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप- अनुच्छेद (2) के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा

टिप्पणी: उपरोक्त सीमाओं के निर्धारण के उद्देश्य से निवल स्वाधिकृत निधि का अर्थ "निवल स्वाधिकृत निधि" होगा, जो इन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद 1 (यू) के तहत परिभाषित है और पिछले वर्ष के यथा 31 मार्च को लेखा परीक्षित खातों के अनुसार इसकी स्थिति के संबंध में है। उक्त तिथि को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के तैयार होने के बाद भी यदि पूंजी का आसव किया जाता है तो उसे भी सीमाओं के निर्धारण हेतु गणना में लिया जायेगा।

(घ) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (3) में, निम्नलिखित शब्द हटा दिए जाएंगे, अर्थात्-"इन निदेशों की प्रारंभिक तिथि पर"

2. अनुच्छेद 30 का संशोधन

मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 30 के उप-अनुच्छेद (1) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

- (1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, टीयर-I और टियर-II पूंजी से मिलकर न्यूनतम पूंजी अनुपात रखेगी, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा-
 - (i) 31 मार्च, 2020 तक या उससे पहले 13%;
 - (ii) 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले 14%; तथा
 - (iii) 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले और उसके बाद की अनुमानित जोखिम भारित परिसंपत्तियां और तुलन-पत्रेत्तर मद के जोखिम समायोजित मूल्य का 15%

टीयर-I पूंजी, किसी भी समय, 10% से कम नहीं होनी चाहिये।

दक्षिता दास, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन-III / 4 / असा. / 108/19]

NATIONAL HOUSING BANK NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2019

No.NHB.HFC.DIR.22/MD&CEO/2019.—In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely –

2. Amendment to Paragraph 3

- (a) In clause (i) of sub-paragraph (1) of Paragraph 3 of the principal Directions, the following shall be substituted, namely
 - (i) a housing finance company having obtained credit rating for its fixed deposits not below the minimum investment grade rating as above and complying with all the prudential norms, may accept public deposits not exceeding three times of its NOF.

- (b) In sub-paragraph (2) of Paragraph 3 of the principal Directions, the following shall be substituted, namely -
- (2) No housing finance company shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as also loans or other assistance from the National Housing Bank, in excess of
- (i) fourteen times of its NOF on or after March 31, 2020;
- (ii) thirteen times of its NOF on or after March 31, 2021; and
- (iii) twelve times of its NOF on or after March 31, 2022.
- (c) After sub-paragraph (2) of Paragraph 3 of the principal Directions, the following shall be inserted

Note: NOF for the purpose of determination of the above limits shall mean "net owned fund" as defined under sub-paragraph 1(u) of paragraph 2 of these Directions and with respect to its position as per the audited accounts as on March 31st of the previous year. Infusion of capital after such balance sheet date may, however, be taken into account for determining the limits.

(d) In sub-paragraph (3) of Paragraph 3 of the principal Directions, the following words shall be deleted, namely-

"as on the date of commencement of these directions"

3. Amendment to Paragraph 30

In sub-paragraph (1) of Paragraph 30 of the principal Directions, the following shall be substituted, namely -

- (1) Every housing finance company shall, maintain a minimum capital ratio consisting of Tier-I and Tier-II capital which shall not be less than-
- (i) 13% on or before March 31, 2020;
- (ii) 14% on or before March 31, 2021; and
- (iii) 15% on or before March 31, 2022 and thereafter

of its aggregate risk weighted assets and of risk adjusted value of off-balance sheet items.

The Tier-I capital, at any point of time, shall not be less than 10%.

DAKSHITA DAS, Managing Director & Chief Executive Officer
[ADVT.–III/4/Exty./108/19]